

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 सितम्बर 2026—भाद्र 26, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2026

क्र. ई-5976788—इक्कीस—अ (प्रा.)— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 सितम्बर 2026 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २०२६

मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, २०२६

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. प्रस्तावना का प्रतिस्थापन संशोधन.
३. धारा ८-क और ८-ख का अंतःस्थापन.
४. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २०२६

मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, २०२६

[दिनांक ८ सितम्बर, २०२६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक १७ सितम्बर, २०२६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, २००४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, २०२६ है.

(२) यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे.

प्रस्तावना का
प्रतिस्थापन.

२. मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, २००४ (क्रमांक ११ सन् २००५) (इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की प्रस्तावना के स्थान पर, निम्नलिखित प्रस्तावना स्थापित की जाए, अर्थात् :-

“यह अधिनियम कतिपय सड़कों को राजमार्ग घोषित करने, राजमार्गों से लगी भूमि के उपयोग के नियमन, राजमार्गों के निर्माण, रखरखाव और विकास, उन पर अतिक्रमण की रोकथाम और हटाने, उपयोगकर्ता शुल्क अधिरोपित करने, सुधार प्रभारों का उद्-ग्रहण करने के लिए और कतिपय अन्य विषयों के लिए उपबंध करता है, और मध्यप्रदेश राज्य में राजमार्गों पर सुरक्षा और सभी सड़क परिवहन साधनों की अधिकतम दक्षता सुनिश्चित करने वाली सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करता है.”

धारा ८ क और
८ ख का अंतः
स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ८ के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतः स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

“८-क. राज्य राजमार्गों पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं या लाभों के लिए शुल्क:-

(१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य राजमार्गों के संपूर्ण या किसी भाग के उपयोग के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं या लाभों के लिए इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित दरों पर शुल्क लगा सकेगी.

(२) इस प्रकार लगाया गया शुल्क इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संग्रहित किया जायेगा.

“८-ख. राज्य राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए समझौते करने की राज्य सरकार की शक्ति :-

(१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी राज्य राजमार्ग के संपूर्ण या उसके किसी भाग के विकास एवं रखरखाव के संबंध में किसी व्यक्ति के साथ समझौता कर सकेगी.

(२) धारा ८-क में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट दर पर, राज्य राजमार्ग के संपूर्ण या आंशिक निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन में शामिल व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, उचित प्रतिफल, यातायात की मात्रा और ऐसे समझौते की अवधि को ध्यान में रखते हुए, उसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं या लाभों के लिए शुल्क एकत्र करने और रखने का हकदार होगा.

(३) उपधारा(१) में निर्दिष्ट व्यक्ति को, ऐसे अनुबंध की विषयवस्तु के भाग रूप राज्य राजमार्ग पर उसके उचित प्रबन्ध के लिए मोटर यान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५६) के अध्याय-८ में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार यातायात का विनियमन और नियंत्रण करने की शक्तियां होंगी.”

४. (१) मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, १९३६ (क्रमांक ३४ सन् १९३६) और भारतीय टोल (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९३२ एतद्वारा निरसित किए जाते हैं।

निरसन तथा
व्यावृत्ति.

- (२) इस संशोधन अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी, इस संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व भारतीय टोल अधिनियम, १९५१ तथा उसके संशोधनों के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, अधिरोपित प्रत्येक उपयोगकर्ता शुल्क, उपयोगकर्ता शुल्क की प्रत्येक विहित दर, निष्पादित प्रत्येक रियायत अनुबंध प्रदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति अथवा प्राधिकरण तथा उपयोगकर्ता शुल्क अधिरोपित करने, संग्रहित करने एवं अपने पास रखने का प्रत्येक अधिकार, जहां तक वह भारतीय टोल अधिनियम, १९५१ तथा उसके संशोधनों के उपबंधों से असंगत नहीं है, वैध एवं प्रवर्तनीय बना रहेगा तथा यह माना जाएगा कि वह, यथास्थिति मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, २००४ के इस संशोधन द्वारा संशोधित तत्समकक्ष उपबंधों के अधीन जारी, अधिरोपित, विहित, निष्पादित, प्रदत्त अथवा प्रयोग किया गया है, जब तक कि विधि के अनुसार उसका उपांतरण, अधिक्रमण अथवा समाप्ति न कर दी जाए.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2026

क्र. ई-5976788-इक्कीस-अ (प्रा).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 2026 (क्रमांक 17 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 17 OF 2026

THE MADHYA PRADESH RAJMARG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2026

TABLE OF CONTENTS

Sections:

1. Short title and commencement.
2. Substitution of the Preamble.
3. Insertion of Section 8-A and Section 8-B.
4. Repeal and savings.

MADHYA PRADESH ACT**NO. 17 OF 2026****THE MADHYA PRADESH RAJMARG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2026**

[Received the assent of the Governor on the 8th September, 2026; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 17th September, 2026.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam, 2004.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-seventh year of the Republic of India as follow :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Rajmarg (Sanshodhan) Adhiniyam, 2026.
- (2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification, appoint.

Substitution of the Preamble.

2. For the Preamble of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam, 2004 (No. 11 of 2005) (hereinafter referred to as the Principal Act) the following Preamble shall be substituted namely :-

"An Act to provide for the declaration of certain roads to be the highways and to provide for regulation of use of land appurtenant to highways, for the construction, maintenance and development of highways, for the prevention and removal of encroachment thereon, for levy of User Fee, for levy of betterment charge and for certain other matters and to provide for the public such conditions as will ensure, road safety and maximum efficiency of all means of road transport on highways in the State of Madhya Pradesh."

Insertion of Section 8-A and Section 8-B.

3. After Section 8 of the Principal Act, the following Sections shall be inserted, namely :-

"8-A. Fees for services or benefits rendered on State Highways.-

- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, levy fees at such rates as may be laid down by rules made in this behalf for services or benefits rendered in relation to the use of whole or any part of State Highways.
- (2) Such fees when so levied shall be collected in accordance with the rules made under this Act.

8-B. Power of State Government to enter into agreements for development and maintenance of State Highways.-

- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may enter into an agreement with any person in relation to the development and maintenance of the whole or any part of a State Highway.
- (2) Notwithstanding anything contained in Section 8-A, the person referred to in sub-section (1) is entitled to collect and retain fees at such rate, for services or benefits rendered by him as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the whole or part of such State Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of such agreement.
- (3) A person referred to in sub-section (1) shall have powers to regulate and control the traffic in accordance with the provisions contained in Chapter VIII of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) on the State Highway forming subject-matter of such agreement, for proper management thereof."

4. (1) The Madhya Pradesh Highway Act, 1936 (34 of 1936) and the Indian Tolls (Madhya Pradesh Amendment) Act, 1932 are hereby repealed.

Repeals and savings.

- (2) Notwithstanding anything contained in this Amendment Act, every Notification issued, User Fee levied, rate of User Fee prescribed, Concession Agreement executed, License or Authorisation granted, and every right to levy, collect and retain User Fee under the Indian Tolls Act, 1851 and amendments before the commencement of this Amendment Act shall, insofar as it is not inconsistent with the provisions of the Indian Toll Act, 1851 and amendments, continue to be valid and enforceable and shall be deemed to have been made, levied, granted or exercised under the corresponding provisions of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam, 2004 as amended, until modified, superseded or terminated in accordance with law.